उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग–3

संख्या बी–3-484/दस–2002–2(41)–77–ब्याज

लखनऊ, दिनांक 07 मई, 2002

कार्यालय-ज्ञाप

राज्य कर्मचारियों को देय-अग्रिमों पर निर्धारित ब्याज की दरों से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप संख्या बी–3-729/दस–2001–2(77–ब्याज, दिनांक 24 अप्रैल, 2001 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारियों को व्यक्ति कम्प्यूटर/मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड/आटो साइकिल एवं बाइसिकिल क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 में स्वी अग्रिम पर ब्याज की दरें अन्तिम रूप से निम्नवत् होंगी :—

व्यक्तिगत कम्प्यूटर/मोटर वाहन अग्रिम—

		वित्तीय वर्ष 2000–01	वित्तीय वर्ष 2001–02
(क) व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम	...	17.5 प्रतिशत	16.5 प्रतिशत
(ख) मोटर कार अग्रिम	...	17.5 प्रतिशत	16.5 प्रतिशत
(ग) मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड/ आटो साइकिल अग्रिम	...	14.0 प्रतिशत	13.0 प्रतिशत
(घ) साइकिल अग्रिम	...	11.5 प्रतिशत	10.5 प्रतिशत

किन्तु ऋण/ब्याज के नियमित रूप से प्रतिदान/भुगतान किये जाने पर ब्याज में 3.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

सचिवालय के समस्त अनुभाग।

लहरी यादव,
बजट अधिकारी।

संख्या बी–3-484(1)/दस–2002-2(41)-77- ब्याज तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) समस्त विभागाध्यक्ष/जिला जज/जिलाधिकारी एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय (आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(4) विधान सभा एवं विधान परिषद् सचिवालय।
(5) राज्यपाल सचिवालय।
(6) निबन्धक, उच्च-न्यायालय, इलाहाबाद।
(7) वित्त नियम (कोष्ठक) अनुभाग (दो प्रतियों में)।

आज्ञा से,
हृदय नारायण लाल अस्थाना,
अनु सचिव।